

आधीलत,

राष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथि/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

सम्बद्धता दिनांक: 30/08/2022

आधीलत तालिका

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु उत्तर प्रदेश संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश परीक्षा वृद्धि सहित अन्य गटी पर विचार किये गए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार ही विद्यमान संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार एवं आगे अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3391-MAJOR S D S COLLEGE OF PHARMACY

संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/ सी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश परीक्षा	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश परीक्षा
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/ सी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1962, विनियमधारी-2000, सेमेस्टर विनियमधारी-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों से प्राप्त किया जाएगा। शासनादेशों के अतिरिक्त शासनादेशों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन करेगी और तत्समूह का पालन किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनताएं ही लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 30/08/2022, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/08/2022 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 द्वारा किये गये विधियों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहेगी।
- ✓ यदि संस्था का ए0आइ0सी0टी0ई0/ सी0सी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाएगा तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का ही होगा और विधिक रूप से किसी भी नवीनताओं के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक

- ✓ शिक्षा निदेशालय एवं प्रादेशिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई याद दायर किया जाता है तथा दायर जद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बरनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त जैरा परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बरनेक वर्ष प्रवेश हेतु आर्थाजित क्वॉलिफिकिंग प्राप्ति होने के पूर्व ए0आर0सी0टी0ई0सी0सी0आई0 में अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (कॉन्सिलिंग) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के माध्यम पर (कोछे प्रदेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना माध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, एकाधार शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कानी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अफिलेख, भूमि-पत्र, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, गायन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आर0सी0टी0ई0सी0सी0आई0 परिषद के मातकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने आका शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एफ0आर0 बाल)

सचिव

सूच0- प्रादेशिक परीषद संख्या/2022/7518-8455

दिनांक: 30/08/2022

मोबा. नं०-

गणनाचर्च विदे संक. MAJOR S D S COLLEGE OF PHARMACY

(एफ0आर0 बाल)

प्रार्थनालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-प्रार्थनालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मोसी कार्पोरेट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3391-MAJOR S D S COLLEGE OF PHARMACY MOHAMMDABAD FARRUKHABAD-209651			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीपेण्डेंट पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावही होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अशकल रहती है तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई खर्च दावर किया जाता है तथा दावर खर्च के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु वास्तुनिर्माण प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (वास्तुनिर्माण के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत यथोक्त आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, स्टाफ-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुल्क, छात्रावास सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उभरते हुए माहौल को उपलब्ध करने के साथ रैकिंग सेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्यायें जैसे अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्ध छात्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा छात्रों का उत्तरार्धन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्राविधिक-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAJOR S D S COLLEGE OF PHARMACY MOHAMMADABAD FARRUKHABAD-209651


(सुनील कुमार सोनकर)

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

:—कार्यालय झाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3291	सेक्टर एम०डी०एम० कॉलेज ऑफ फार्मसी मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०ई०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रम हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.

(Handwritten Signature)

es प्रतिबन्ध शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधिकांश छात्र/छात्राओं से शुल्क की सम्बन्ध में सम्पर्क-सम्पर्क पर सार्वजनिक द्वारा निर्णय किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकृति होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। पीएम विभिन्न समिति द्वारा तद्विषय 2020-21 हेतु पीएम का पूर्व-निर्णय किया जाता है, जो नीचे की प्रकृतिगत रहे समूह होगी।

- ✓ सार्वजनिक को (2020) प्रारम्भिक शिक्षा समिति/समिति तथा उस समिति/समिति, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाये। विनिष्ठाकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अस्तित्व प्राप्त की ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सम्पर्क-सम्पर्क पर निर्णय सार्वजनिक के अनुसार विभिन्न एवं सम्बन्धित शुल्क प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआरटीआई/टीआई/टीआई से आगामी रात्र हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाये आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कक्षाये गये विधि/विधियों/अधिनियमों/सार्वजनिकों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा कक्षाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये काम होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की सम्बन्ध यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुसूचित प्राप्त करने में अक्षम रहती है तो इस सम्बन्ध में सम्पर्क उत्तरप्रदेशिका संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई चार द्वारा किया जाता है तथा चार चार के सम्बन्ध में मा. भ्रमण/सम्पर्क द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी आदेश निर्णय किया जायेगा है तो सम्पर्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु सम्बन्धित प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुसूचित प्राप्त कर परिषद सम्बन्धित को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (अनुसूचित के सम्बन्ध से अर्थात् संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय प्रकृतिगत अध्यापन विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सार्वजनिक सूचनाएं जैसी संस्था की ऐतिहासिक पुस्तकभूति, स्टाम्प, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, फाइलगत शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ नैतिक टोकने के सम्बन्ध में सम्पर्क आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/सम्बन्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशक समिति के सम्बन्धित उपलब्ध कक्षाये गये अधिदेश, भूमि-भरण, कमीषन, जनसंख्या इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सम्बन्धित में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तर प्रदेश संस्था की सम्बन्धित सम्पर्क किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचित/सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

(सो आर.डी. सिंह)
सचिव

पृष्ठ- प्रारम्भिक/परिषद सम्बन्धित/2020/ 1973-3141

तद्विषयक: 15-09-2020

प्रारम्भिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, मेजर एम.बी.एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स मोहम्मदाबाद, फारुखाबाद।

(सो आर.डी. सिंह)
सचिव